

पत्रांक- १०/सं-७/०८५३
दिल्ली तरार,
मानव संताधन विकास विभाग ।

उमा,

अनिल कुमार,
तरार के उप विषय ।

तेजा मैं,

श्री अलोक गाँगुली,

अध्यक्ष,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, २ कम्प्युनिटी टेंटर,
नई दिल्ली-११००९२ ।

पटना, दिनांक १२ जुलाई, ०८

भाग:- तरारी विद्या पर्दिर, बक्सर को ती०बी०८८०५० नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु उनापति द्वारा पर्व निर्णत करने के तथ्य में ।

उमा,

उपरोक्त विषय के तथ्य में निर्देशित तरार सूचित करना है कि तरारी द्वारा द्वारा द्वारा २३८ दिनांक ३-४-२००६ के आलोक मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त जारी प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गए उत्तरांश की समीक्षा के आधार पर तरारी विद्या पर्दिर बक्सर को ती०बी०८८०५० नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु उनापति प्रमाण पर्व निर्णत करने की अनुमति की जानी है। समिति की अनुमति के आलोक मैं समीक्षोपरांत इथति निर्माण है:-

यह विद्यालय भारती शिक्षा समिति, बिहार के अधीन संचालित है। इस विति में किसी एक अविष्यकता परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सौताङ्की के प्रत्येक विद्यालय का दूरी दिया गया है तथा उनके बीच की दिल्ली में ।

विद्यालय ने किसी निवैधित सौताङ्की / नास के एक्साइबी उद्योग में उद्यान के लिए उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

समिति के नाम से निवैधित के माध्यम से २.२७ बूमि उपलब्ध है, विद्यालय को पर्याप्त उपांकर प्रृष्ठतालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इथति निरीक्षण करे यह तुम्हारी विद्या की विद्यालय की अधिकृत संरचना एवं तुम्हारे बोर्ड के मानक के अनुसर है।

विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विद्यालय निकाल दिल्ली प्रशिक्षा दिवारा करने की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली प्रशिक्षा द्वारा दिया गया है, परन्तु ऐसा कोई माध्यम प्रस्तुत नहीं दिया गया है, जिसमें उह स्थान है कि नियुक्ति में विद्यालय प्रशिक्षा द्वारा अनुयायी करने वाली विद्या अधिकृत है, जिसमें उह स्थान है कि नियुक्ति में विद्यालय प्रशिक्षा द्वारा अनुयायी करने वाली विद्या अधिकृत है।

Principal
Saraswati Vidya Man
Ahirauli, Buxar

प्रधानाचार्य
संस्था छिदा भवि
वाल्लुर

प्रशिक्षण परिषद
सचिव

सरस्वती विद्या मंदिर
अहिराली, बक्सर
क्रम संख्या

पारदर्शिता वरती गई है। विद्यालय में प्रिंसिपल है। ती०बी०एस०ई०, नं० १५
पह तुनिशित करना होगा कि सिधकों की योग्यता प्रसिद्धि राष्ट्रीय अध्यापक
प्रिंसिपल परिषद् के मापदण्डों के उन्नत्य है।

5- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6- विद्यालय ब्यारा निर्धारित शुल्कों वार्षिक लेहा अकेखर्च तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आशवातन दिया गया है। विद्यालय अनेक आशवातन के उन्नत्य छारपार्स करे इसे ती०बी०एस०ई०, नं० दिल्ली को तुनिशित करना होगा।

विद्यालय के द्वारा, लिखित रूप से तब्द्यति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिकूपना संघया 238 दिनांक ३-४-२००६ में उत्तमेभित्ति ओषित गत्ते स्वीकार है। ओषित गत्ते के उन्नारा-

॥ I ॥ विद्यालय में ध्याता छा 25 प्रतिशत नामांकन पछोत में नियात दर्ते जाने परिवार के बच्चों का निःशुल्क किए जायेगा तथा उनसे दैयूजन शुल्क उपर्या किसी अन्य प्रशार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठी में उन्निशत जानि, जनजाति पिछ्डा वर्ग, अल्यतंभयक विकलांग वा लिकाई तथा भासान्वा श्रेष्ठी २ परिवार जिनकी आय अधिकतम ६०,०००/- रुपया प्रतिवर्ष होती।

॥ II ॥ विद्यालय में नर्सरी / के०बी० उपया प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रक्रेता परीक्षा/साधात्कारौदर्द्यों स्वैं प्राता/प्रिता सहितौ शृण्डे किए जायेगा। भगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित ध्याता से अधिक होने से बुले तरीका से Draw no १०८ के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

॥ III ॥ नर्सरी/के०बी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रक्रेता लेने वाले बच्चों ना विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक सदै प्राथमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक होती।

॥ IV ॥ जिन बच्चों द्वा नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन हुए दी राति द्वा ८० प्रतिशत रात्रिशापत लौटाने की व्यवस्था होगी।

६- यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्ष्य विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया ज्या है, फिर भी ती०बी०एस०ई०, नं० दिल्ली अनेकतर से जाँच, अवृत्ति वह तुनिशित हो भै कि विद्यालय उनके निर्धारित गापदण्ड के आधार पर

Principal
Saraswati Vidya Mai
Ahirauli, Buxar
प्राध्यालयाधार्य
सारस्वती विद्या मं
त्रालय अ

प्रब्रेशप्रताप
सचिव
सरस्वती विद्या मंदिर
अहिरौली, बक्सर
४५५५५

:: ३ ::

के द्वारा आनी समय पर निमार अनिवार्य एवं अधिक शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। इतने को यह गत्ता सार्वजनिक करनी होगी तभी इतना उल्लेख को प्रोत्स्थेक्टन एवं देवतार्ड्ड में करना होगा। शर्तों के उल्लेखन की विधि में अनापन्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तभी सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10- विभागीय पत्रांक 46 दिनांक 18-1-2008 द्वारा सिध्क/ठाकरों को भारतीय दण्ड नवीं दिव जाने संघीय आकेशों का विद्यालयों के द्वारा पालन करना होगा।

11- विद्यालय बिहार तत्काल के लिया विभाग अधिकारी एवं विद्यालय के नियन्त्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षा हेतु किसी भी समय सुला होगा।

12- उपरोक्त तथ्यों के आलोक गे नया वर्णित शर्तों के आधार पर नया सरनियती विद्या मंदिर, बक्सर को सी०ष्ठी०स००५०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापन्ति ती जाती है।

अनु०- जि० शिप्रदात०, बक्सर ते
प्राप्त जाँच प्रतिवेदन।

विवातशाजन,

८०/-

॥ अनिल कुमार ॥

तत्काल के उप सचिव।

पत्रांक-

८६२ पटना, दिनांक- ३० जुलाई, ०८

प्रतिविधि प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर बक्सर को सूचनार्थ एवं
भावशङ्क कार्यार्थ प्रेषित।

१२८

॥ अनिल कुमार ॥

तत्काल के उप सचिव।

८६२
३०/७/०८

एव्रेश भट्टाचार्य

सचिव

सरस्वती विद्या मंदिर
अहिराउली, बक्सर

१२८

सरस्वती विद्या मंदिर

बक्सर

Principal
Saraswati Vidya Mandir
Ahirauli, Buxar